

୪୫

શ્રી અગોદ ગોયા,

३६

ਮੁਹਿੰਦ, ਫੇਨਟੀਪ, ਗਾਈਪਿਕ ਸਿਖਿਆ ਪਟਿਆਲਾ,
ਸਿਖਿਆ ਫੇਨਾ 2 ਮਾਝਾ ਪਾਪ, ਬੰਦ
ਪ੍ਰਿਤੀ ਵਿਖਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਕੀ ।

प्रकाशनी १७। अनुवाद

ਮਿਤੀ: ਫਰਵਰੀ: ੬ ਪੁਸ਼ਟੀ 1998

प्रध्यपः- सर्वेष परिकार तथा न्य पर्निपाता रोठ हड्डी दों तीव्री०स्त०क्षु मध्य दिल्ली दों तोव्री०स्त०क्षु नक्षु दिल्ली ते सम्भाता द्वयु प्रनापाता प्रमाण पत्र दिया जाना ।

મહોદ્ધા

उपर्युक्त पिण्डिक पर मुझे पहले कहने वाला निर्देश हुआ है कि तर्वरी पंचिंश
हवाल न्यु पार्निपाता रोड़ सड़की की तीरोंबीं ओतोंमें नहीं टिलमीं से सम्बद्धता हेतु अना-
पर्तित प्रयोग पर इधे जाने में इस राज्य सरकार को निभावित प्रतिबन्धों के अधीन
भाषणित जाएँगे :-

- 111 विद्यालय की पैंचीकृत तोतायटी छा तम्ह पर नवीनीकरण घटाया जायेगा ।

121 विद्यालय की प्रबन्ध संगठन में शिखा निर्देश द्वारा नामित एवं सदत्ते होंगा ।

131 विद्यालय में कम ते कम दस पुस्तिकान स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित क्षमताओं के बच्चों के लिए बुराहिया रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश शास्त्रीयमिक शिखा परिषद द्वारा तीव्रामिता विद्यालयों में विभिन्न स्थानों के लिए निर्धारित गुलब ते ग्राहिक गुलब नहीं मिला जायेगा ।

141 तीसंपा द्वारा राज्य सरकार ते लिंगी अनुदान भी साँच नहीं दी जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय शास्त्रीयमिक शिखा परिषद से वैतिक शिखों परिषद ते भान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की तस्वीरता इन्ट्रीप्राइवेट इव्वानिसेंस नड़े दिल्ली ते प्राप्त होती है तो उस परिषद परिषदों ते गम्भीरा प्राप्त होने की तिथि है परिषद ते भान्यता तथा राज्य सरकार ते अनुदान रवां तगाप्त हो जायेगी ।

151 सेवा नेपिक एवं शिखगतार जन्मात्रियों दो राजकीय संवादायता प्राप्त शिखगत संवादार्थों के लक्षणात्रियों दो अनुमन्य वेतनमानों तथा ग्रन्थ मत्तों के समान लक्ष्य ग्रन्थ मत्तों नहीं दिये जाएंगे ।

16। कर्मियाँ रियों की लेहा शर्म बनायी जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त जानागीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लियाँ रियों की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

17। राज्य सरकार द्वारा ताकि सम्म पर जो भी खट्टों निर्गत हो जाएगी, तरह उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकाड़ नियाँरित प्रपत्र/विविकारों में रखा जाएगा ।

19। उक्त गतों में राज्य सरकार के पूर्णनियोदन के किसी शोई परिवर्तन/तिरोधन या परिवर्तन नहीं होने जाएगा ।

2- प्रतिबन्ध वह भी होगा कि स्तरपा द्वारा पहले सुनिश्चित होना चाहिए -

1- विद्यालय में नियमित नियुक्ति की जाएगी तथा अपकर्मियों के साथ वहुपर लेजी लम्हाएँ छोड़ नियमानुसार वेतन दिया जाएगा ।

2- प्रधानाधार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की जाएगी ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन फरना होना तोहा कि यह अनियार्थ होगा और पहले सम्म यह पापा जाता है कि स्तरपा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किसी सम्म यह पापा जाता है कि स्तरपा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किसी प्रकार छोड़ पायी जाएगी वह तरीका जो रहा है उसका पापा पालन करने में किसी प्रकार छोड़ पायी जाएगा ।

भवदीप,

अमौर गाँगुली
समृद्ध तत्त्वित ।

पृष्ठ० 111/15-7-1998 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुननार्थ स्व आवश्यक जापिए हैं शुभित :-

- 1- रिकाड़ नियेगा, उत्तर प्रदेश सरकार ।
- 2- मण्डलीय तंत्रज्ञता विभाग नियेगा, तदारनपुर ।
- 3- किस विद्यालय नियीधन राजारनपुर ।
- 4- नियीधन ओग्ला भारतीय विद्यालय उम्पुर मध्य ।
- 5- प्रबन्धक, तरंग पर्सिक राज्य परिवाला रोड रुक्ता रूरका ।

आवारा,

अमौर गाँगुली
समृद्ध तत्त्वित ।

Principal
Satyagya Public School
Roorkee